

अदालत - उपखण्ड अधिकारी
इजलास - जयवीर सिंह कालेर

मुकाम - कुशलगढ़
आर0ए0एस0

काहनीग पिता होमजी भील निवासी सातलीया तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज)
बनाम

1. नाथू पिता होमजी भील निवासी सातलीया तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज)
2. मुकेश पिता मानेंग भील निवासी सातलीया तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज)
3. गुड़ीया पिता मानेंग भील निवासी सातलीया तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज)
4. चतुरा बेवा मानेंग भील निवासी सातलीया तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज)
5. हकरी बेवा मानेंग भील निवासी सातलीया तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज)
6. लालु पिता वालेंग भील निवासी सातलीया तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज)
7. ऐतरी पत्नि वालेंग भील निवासी सातलीया तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज)
8. शाखा प्रबन्धक, बडौदा राजस्थान ग्रामीण (BRGB) बैंक शाखा मोहकमपुरा
9. भूमिधारी तहसीलदार, कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज)


दावा बाबत् 88, 53, 209रा0का0अ0

मुकदमा नं0-6/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसलस कतई रुबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुदई रुबरू अभिभाषक मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है/डिकरी जारी की जाती है कि -

ग्राम सातलीया की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 252 रकबा 0.02 एकड़ लगान -, 253 रकबा 3.40 एकड़ लगान 1.47 व .90, 272 रकबा 1.64 एकड़ लगान 1.66, 292 रकबा 2.16 एकड़ लगान 1.17 व 1.54, 368 रकबा 3.23 एकड़ लगान 1.04 व 1.63, 369 रकबा 0.32 एकड़ लगान 0.03, 401 रकबा 1.42 एकड़ लगान 0.35 व 1.01, 423 रकबा 7.54 एकड़ लगान 2.20 व 7.76 कुल खेत 8 कुल रकबा 19.73 एकड़ लगान 20.76 में वादी को हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं0 1 को हिस्सा 1/4, प्रतिवादी सं0 2 से 5 को हिस्सा 1/4, एवं प्रतिवादी सं0 6 से 7 को हिस्सा 1/4 का सहखातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तथा वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 7 के मध्य उक्त हिस्सा अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स एवं भूमि की किस्म/रेकार्ड के आधार पर राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार कुशलगढ़ को बटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। जो विभाजन प्रस्ताव तैयार कर फहरिस्त बटवारा एवं नक्षा ट्रेस तीन-तीन प्रतों में पेश करेंगे। बैंक का इन्द्राज यथावत रहेगा। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करें।

मिजमुलालिग बातखर्चा इस मुकदमें के मय सदबशरह फिसदी सालाना अज तारीख से तारीख अदायगी तक.....बासिब्त मेरे दस्तखत व मुहर के आज तारीख 03.05.2018 को जारी की गई


(जयवीर सिंह कालेर)
उपखण्ड अधिकारी

कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)

मुदई
रुपया पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प बजह सवूत
महनताना वकील
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुकमनामा

मुदायलाल
रुपया पैसा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अर्जी
महनताना
खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर
बाबत् इजराय हुकमनामा
मुतफरिक मिजान मुतफखियख

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल हर दो फरिकेन को चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया